

कर-भिन्न राजस्व

(₹ करोड़)

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2017-2018	बजट 2018-2019	संशोधित 2018-2019	बजट 2019-2020	
ब्याज प्राप्ति, लाभांश एवं लाभ					
1. ब्याज प्राप्ति					
1.01. राज्य	0049	7315.87	6100.06	5288.44	5494.94
1.02. संघ राज्य क्षेत्र (विधान मंडल युक्त)	0049	41.84	367.40	365.40	365.40
1.03. अन्य ब्याज प्राप्ति	0049	38366.94	25049.59	20910.62	22150.89
1.03.01. घटाइए व्यय घटाकर प्राप्ति	0049	-32150.57	-16355.00	-14517.14	-14300.00
<i>निवल-ब्याज प्राप्ति</i>		<i>13574.08</i>	<i>15162.05</i>	<i>12047.32</i>	<i>13711.23</i>
2. लाभांश और लाभ					
2.01. सरकारी क्षेत्र के उद्यम और अन्य निवेशों से लाभांश	0050	46498.67	52494.71	45124.18	57486.88
2.02. भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लाभांश/अधिशेष	0050	44861.80	54817.25	74140.37	106041.56
<i>जोड़-लाभांश और लाभ</i>		<i>91360.47</i>	<i>107311.96</i>	<i>119264.55</i>	<i>163528.44</i>
जोड़-ब्याज प्राप्ति, लाभांश एवं लाभ		104934.55	122474.01	131311.87	177239.67
राजकोषीय सेवाएं					
3. राजकोषीय सेवाएं					
3.01. करेंसी, सिक्का निर्माण और टकसाल (सिक्कों के परिचालन से लाभ)	0046	282.00	600.00	300.00	300.00
3.02. अन्य राजकोषीय सेवाएं	0047	178.13	121.20	120.50	125.50
<i>जोड़-राजकोषीय सेवाएं</i>		<i>460.13</i>	<i>721.20</i>	<i>420.50</i>	<i>425.50</i>
जोड़-राजकोषीय सेवाएं सामान्य सेवाएं		460.13	721.20	420.50	425.50
4. सामान्य सेवाएं					
4.01. प्रशासनिक सेवाएं					
4.01.01. लोक सेवा आयोग	0051	84.03	136.50	96.50	103.50
4.01.02. पुलिस	0055	7495.64	7611.60	7761.00	10366.10
4.01.03. पूर्ति और निपटान	0057	54.57	...	0.05	0.05
4.01.04. लेखन सामग्री और मुद्रण	0058	38.97	38.80	35.25	29.54
4.01.05. लोक निर्माण कार्य	0059	333.85	76.65	273.03	373.03
4.01.06. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	0070	6203.79	7432.31	6377.79	7786.43
<i>जोड़-प्रशासनिक सेवाएं</i>		<i>14210.85</i>	<i>15295.86</i>	<i>14543.62</i>	<i>18658.65</i>
4.02. पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूलियां					
4.02.01. पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूलियां	0071	1760.70	2824.53	2709.12	2712.93
4.02.02. घटाइए प्राप्ति	0071	...	-1000.00	-1000.00	-1000.00
<i>निवल-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूलियां</i>		<i>1760.70</i>	<i>1824.53</i>	<i>1709.12</i>	<i>1712.93</i>
4.03. विविध सामान्य सेवाएं					
4.03.01. विविध सामान्य सेवाएं	0075	19355.64	19211.20	18375.71	21527.76
4.03.02. घटाइए वाणिज्यिक विभाग - कैंटीन स्टोर्स विभाग की प्राप्ति	0075	-17761.78	-17625.00	-16775.00	-18450.00
<i>निवल-विविध सामान्य सेवाएं</i>		<i>1593.86</i>	<i>1586.20</i>	<i>1600.71</i>	<i>3077.76</i>
4.04. रक्षा सेवाएं					
4.04.01. रक्षा सेवाएं - सेना	0076	2951.31	2871.09	2927.09	2879.76
4.04.01.01. घटाइए - प्राप्ति	0076	-2951.31	-2871.09	-2927.09	-2879.76
<i>निवल</i>		<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>
4.04.02. रक्षा सेवाएं - नौसेना	0077	629.82	650.00	750.00	500.00
4.04.02.01. घटाइए - प्राप्ति	0077	-629.82	-650.00	-750.00	-500.00
<i>निवल</i>		<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2017-2018	बजट 2018-2019	संशोधित 2018-2019	बजट 2019-2020	
4.04.03. रक्षा सेवाएं - वायु सेना	0078	1025.60	1300.00	1277.66	1000.00
4.04.03.01. घटाइए - प्राप्तियां	0078	-1025.60	-1300.00	-1277.66	-1000.00
<i>निवल</i>
4.04.04. रक्षा सेवाएं - आयुध कारखाने	0079	1852.02	1579.70	2194.44	2581.19
4.04.04.01. घटाइए - प्राप्तियां	0079	-1852.02	-1579.70	-2194.44	-2581.19
<i>निवल</i>
4.04.05. रक्षा सेवाएं - अनुसंधान और विकास	0080	279.24	150.00	550.00	400.00
4.04.05.01. घटाइए - प्राप्तियां	0080	-279.24	-150.00	-550.00	-400.00
<i>निवल</i>
<i>निवल-रक्षा सेवाएं</i>
<i>निवल-सामान्य सेवाएं</i>	17565.41	18706.59	17853.45	23449.34	
जोड़-सामान्य सेवाएं	17565.41	18706.59	17853.45	23449.34	
सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं					
5. सामाजिक सेवाएं					
5.01. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	0202	273.49	238.82	280.58	347.19
5.02. चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	0210	540.23	597.78	606.21	678.08
5.03. परिवार कल्याण	0211	14.43	20.10	15.08	15.08
5.04. आवास	0216	379.28	341.38	283.60	279.59
5.05. शहरी विकास	0217	...	0.01	0.01	0.01
5.06. सूचना और प्रचार प्रसार	0220	70.79	44.04	50.12	59.35
5.07. प्रसारण	0221	1548.29	1997.06	1420.86	2766.67
5.08. श्रम और रोजगार	0230	34.89	25.59	33.55	34.08
5.09. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	0235	0.67	5610.57	0.86	0.36
5.10. अन्य सामाजिक सेवाएं	0250	146.06	...	100.00	...
5.10.01. घटाइए - प्राप्तियां	0250	-64.43	...	-100.00	...
<i>निवल-सामाजिक सेवाएं</i>	2943.70	8875.35	2690.87	4180.41	
जोड़-सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं	2943.70	8875.35	2690.87	4180.41	
आर्थिक सेवाएं					
6. आर्थिक सेवाएं					
6.01. कृषि और संबद्ध क्रियाकलाप					
6.01.01. फसल कार्य	0401	576.80	424.05	590.55	614.55
6.01.02. पशु पालन	0403	20.59	19.25	19.60	20.97
6.01.03. डेयरी विकास	0404	435.50	480.35	390.54	410.80
6.01.03.01. घटाइए - वाणिज्यिक विभाग की प्राप्तियां- दिल्ली दुग्ध योजना	0404	-435.35	-480.00	-390.27	-410.40
<i>निवल</i>	0.15	0.35	0.27	0.40	
6.01.04. मात्स्यकी	0405	3.94	4.40	3.95	4.00
6.01.05. वानिकी एवं वन्य जीवन	0406	204.43	33.00	33.00	38.00
6.01.05.01. घटाइए - प्राप्तियां	0406	-192.66	-8.00	-8.00	-8.00
<i>निवल</i>	11.77	25.00	25.00	30.00	
6.01.06. खाद्य भंडारण और भांडागार	0408	1171.00	12.02	102.53	6.91
6.01.06.01. घटाइए - प्राप्तियां	0408	-95.62	...
<i>निवल</i>	1171.00	12.02	6.91	6.91	
6.01.07. कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	0415	...	0.01	0.02	0.02
6.01.08. अन्य कृषि कार्यक्रम	0435	21.75	20.50	23.00	23.55
<i>निवल-कृषि और संबद्ध क्रियाकलाप</i>	1806.00	505.58	669.30	700.40	
6.02. सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण					
6.02.01. वृहत और मध्यम सिंचाई	0701	34.44	40.00	40.00	42.00
6.02.02. वृहत सिंचाई	0702	1.77	1.20	1.60	1.80
<i>जोड़-सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण</i>	36.21	41.20	41.60	43.80	

			वास्तविक	बजट	संशोधित	(₹ करोड़)
मुख्य शीर्ष			2017-2018	2018-2019	2018-2019	बजट
						2019-2020
6.03.	ऊर्जा					
6.03.01.	विद्युत	0801	1975.99	5893.78	3347.77	4270.48
6.03.01.01.	घटाइए - वाणिज्यिक विभाग की प्राप्तियां- ईंधन स्टाक	0801	-1152.70	-2158.83	-1859.02	-2373.06
	<i>निवल</i>		<i>823.29</i>	<i>3734.95</i>	<i>1488.75</i>	<i>1897.42</i>
6.03.02.	पेट्रोलियम	0802	10878.80	9877.24	16044.55	16930.27
6.03.03.	कोयला और लिग्नाइट	0803	4.45	...	3197.85	3197.85
6.03.04.	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा	0810	48.23	0.06	0.12	0.12
	<i>निवल-ऊर्जा</i>		<i>11754.77</i>	<i>13612.25</i>	<i>20731.27</i>	<i>22025.66</i>
6.04.	उद्योग और खनिज					
6.04.01.	ग्राम और लघु उद्योग	0851	45.33	37.26	30.26	23.18
6.04.02.	उद्योग	0852	1861.48	2615.45	3025.77	2557.87
6.04.02.01.	घटाइए - वाणिज्यिक विभाग की प्राप्तियां- ईंधन फेब्रिकेशन सुविधाएं	0852	-1205.93	-2417.80	-1735.36	-2286.29
6.04.02.02.	घटाइए - सेक्टर में अन्य प्राप्तियां	0852	-255.00	...	-983.18	...
	<i>निवल</i>		<i>400.55</i>	<i>197.65</i>	<i>307.23</i>	<i>271.58</i>
6.04.03.	अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	0853	1215.93	24.59	298.93	377.29
6.04.04.	अन्य उद्योग	0875	182.65	150.00	150.00	150.00
6.04.04.01.	घटाइए - वाणिज्यिक विभाग की प्राप्तियां- अफीम और क्षारीय निर्माणियां	0875	-182.65	-150.00	-150.00	-150.00
	<i>निवल</i>		<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>
	<i>निवल-उद्योग और खनिज</i>		<i>1661.81</i>	<i>259.50</i>	<i>636.42</i>	<i>672.05</i>
6.05.	परिवहन					
6.05.01.	पत्तन और दीपस्तंभ	1051	325.86	325.43	325.43	320.00
6.05.01.01.	घटाइए - वाणिज्यिक विभाग की प्राप्तियां- दीपस्तंभ दीपपोत	1051	-319.05	-320.00	-320.00	-320.00
	<i>निवल</i>		<i>6.81</i>	<i>5.43</i>	<i>5.43</i>	<i>...</i>
6.05.02.	पोत परिवहन	1052	114.62	122.82	122.82	121.29
6.05.03.	नागर विमानन	1053	67.52	105.00	105.00	115.51
6.05.04.	सड़क और पुल	1054	9064.07	10291.00	19542.60	20339.64
6.05.05.	अंतर्देशीय जल परिवहन	1056	19.31
6.05.06.	डाक प्राप्तियां	1201	12832.76	16956.11	18000.44	19203.29
6.05.06.01.	घटाइए - वाणिज्यिक विभाग की प्राप्तियां-डाक	1201	-12832.76	-16956.11	-18000.44	-19203.29
	<i>निवल</i>		<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>
	<i>निवल-परिवहन</i>		<i>9272.33</i>	<i>10524.25</i>	<i>19775.85</i>	<i>20576.44</i>
6.06.	संचार					
6.06.01.	अन्य संचार सेवाएं	1275	32065.90	48661.42	39245.00	50519.81
6.07.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण					
6.07.01.	परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	1401	84.09	91.69	116.78	99.06
6.07.02.	अन्य वैज्ञानिक सेवाएं और अनुसंधान	1425	1027.28	1099.08	1187.09	2208.99
	<i>जोड़-विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण</i>		<i>1111.37</i>	<i>1190.77</i>	<i>1303.87</i>	<i>2308.05</i>
6.08.	सामान्य आर्थिक सेवाएं					
6.08.01.	विदेश व्यापार और निर्यात सेवाएं	1453	230.13	157.58	252.90	252.90
6.08.02.	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	1475	3420.96	14619.91	6987.37	7619.94
6.08.03.	पर्यटन	1452	9.22	10.00	10.00	10.00
6.08.04.	नागरिक आपूर्ति	1456	0.04	0.04	0.12	0.15
	<i>जोड़-सामान्य आर्थिक सेवाएं</i>		<i>3660.35</i>	<i>14787.53</i>	<i>7250.39</i>	<i>7882.99</i>
	<i>निवल-आर्थिक सेवाएं</i>		<i>61368.74</i>	<i>89582.50</i>	<i>89653.70</i>	<i>104729.20</i>
7.	रेल राजस्व					

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2017-2018	बजट 2018-2019	संशोधित 2018-2019	बजट 2019-2020	
7.01. भारतीय रेलवे विविध प्राप्ति	1001	204.33	250.00	500.00	260.00
7.01.01. घटाइए - विविध प्राप्ति	1001	-204.33	-250.00	-500.00	-260.00
7.02. भारतीय रेलवे - वाणिज्यिक लाइनें	1002	176718.83	198702.42	194774.00	214590.13
7.02.01. घटाइए - प्राप्ति	1002	-176718.83	-198702.42	-194774.00	-214590.13
7.03. भारतीय रेलवे - सामरिक लाइनें	1003	2006.48	2137.58	1940.00	2084.87
7.03.01. घटाइए - प्राप्ति	1003	-2006.48	-2137.58	-1940.00	-2084.87
निवल- रेल राजस्व	
जोड़-आर्थिक सेवाएं		61368.74	89582.50	89653.70	104729.20
सहायता-अनुदान तथा अंशदान					
8. सहायता अनुदान और अंशदान					
8.01. विदेश अनुदान सहायता					
8.01.01. बहुपक्षीय					
8.01.01.01. एशियाई विकास बैंक	1605	5.99	16.00	12.00	14.00
8.01.01.02. कृषि के लिए अंतरराष्ट्रीय निधि	1605	0.12	3.00	1.00	1.00
8.01.01.03. अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक	1605	86.31	93.00	77.00	82.00
8.01.01.04. यूरोपीय यूनियन	1605	189.33
जोड़-बहुपक्षीय		<i>281.75</i>	<i>112.00</i>	<i>90.00</i>	<i>97.00</i>
8.01.02. द्विपक्षीय					
8.01.02.01. जर्मनी	1605	21.18	22.00	11.00	10.00
8.01.02.02. जापान	1605	...	42.00	33.00	33.00
जोड़-द्विपक्षीय		<i>21.18</i>	<i>64.00</i>	<i>44.00</i>	<i>43.00</i>
8.01.03. अंतर्राष्ट्रीय निकाय					
8.01.03.01. वैश्विक पर्यावरण निधि	1605	1096.85	1200.00	830.00	500.00
8.01.03.02. यूएनडीपी	1605	36.78	11.00	5.00	10.00
जोड़-अंतर्राष्ट्रीय निकाय		<i>1133.63</i>	<i>1211.00</i>	<i>835.00</i>	<i>510.00</i>
जोड़-विदेश अनुदान सहायता		<i>1436.56</i>	<i>1387.00</i>	<i>969.00</i>	<i>650.00</i>
8.02. सहायता सामग्री और उपस्कर	1606	2145.64	1280.00	301.00	356.00
जोड़-सहायता अनुदान और अंशदान		<i>3582.20</i>	<i>2667.00</i>	<i>1270.00</i>	<i>1006.00</i>
जोड़-सहायता-अनुदान तथा अंशदान		3582.20	2667.00	1270.00	1006.00
संघ राज्य क्षेत्रों का कर भिन्न राजस्व					
9. संघ राज्य क्षेत्रों के कर-भिन्न राजस्व	1710	1889.62	2062.10	2076.00	2149.00
जोड़-संघ राज्य क्षेत्रों का कर भिन्न राजस्व		1889.62	2062.10	2076.00	2149.00
कुल जोड़		192744.35	245088.75	245276.39	313179.12

उपर्युक्त विवरण में 2019-20 की कर-भिन्न राजस्व (एनटीआर) प्राप्ति के अनुमानों का सार दिया गया है। कर-भिन्न राजस्व प्राप्ति के अनुमान विभिन्न स्रोतों से प्राप्त किए गए हैं जैसे परिसंपत्तियों पर लाभांश और लाभ के रूप में प्रतिलाभ, सरकारी कार्य, विनियामक प्रभारों तथा लाइसेंस शुल्क और मुहैया कराई गई सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं पर प्रयोक्ता प्रभारों के रूप में संग्रहित ब्याज, शुल्क, दंड और विविध प्राप्ति।

1.1. राज्य : राज्यों को जारी किए गए ऋणों पर ब्याज प्राप्ति में, अन्य के साथ-साथ, निम्नलिखित पर ब्याज शामिल है :

- (क) योजना भिन्न स्कीम (बाढ़ नियंत्रण) के अंतर्गत अलग-अलग समयावधि के दौरान पश्चिम बंगाल, पंजाब, त्रिपुरा को संवितरित ऋण;
- (ख) वित्त मंत्रालय द्वारा ब्याज की विभिन्न दरों पर संवितरित पुराने ऋण, जिन्हें अब ब्याज की एक समान दरों पर नियत किया गया है।
- (ग) राज्य की योजनागत स्कीमों की सहायता के लिए संवितरित ऋण जिनकी परिपक्वता अवधि 20 वर्ष की है।
- (घ) पुलिस बस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों को संवितरित ऋण। इनमें ब्लाक ऋण, अन्य देशों से पुनर्वासन-प्रत्यावसन और संसाधनों के अंतर को घटाने के लिए ऋण आदि शामिल हैं।

1.2 संघ राज्य क्षेत्र (विधानमंडल वाले) : संघ राज्य क्षेत्रों (विधानमंडल वाले) को दिए गए ऋणों पर ब्याज।

- 1.3. अन्य ब्याज प्राप्ति:** "अन्य ब्याज प्राप्ति" के तहत अनुमान सरकारी क्षेत्र के उद्यमों, पत्तन न्यासों तथा अन्य सांविधिक निकायों, सहकारी समितियों, सरकारी कर्मचारियों आदि को दिए गए अग्रिम ऋणों पर ब्याज और विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों पर पूंजी परिव्यय के सम्बन्ध में हैं।
- 2. लाभांश और लाभ:** इस भाग में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से लाभांश तथा लाभ शामिल हैं। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के अधिशेष भी शामिल हैं जो सरकार को अन्तरित किए जाते हैं।
- 3.2. अन्य राजकोषीय सेवाएं:** ये प्राप्ति मुख्यतः भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को देय ईएफएफ प्रभार, आईएमएफ से प्राप्त आदि तथा आर्थिक अपराधों के एवज में प्राप्त शास्तियों आदि के अंशदानों से सम्बन्धित हैं।
- 4.01.01. लोक सेवा आयोग :** "लोक सेवा आयोग" की प्राप्ति मुख्य रूप से संघ लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग के परीक्षा शुल्कों आदि को दर्शाती हैं।
- 4.01.02. पुलिस :** राज्य सरकारों तथा अन्य पक्षों की केंद्रीय पुलिस बलों से संबंधित प्राप्ति 'पुलिस' के अंतर्गत आती हैं। इन प्राप्ति में दिल्ली पुलिस की प्राप्ति भी शामिल हैं।
- 4.01.03. आपूर्तियां और निपटान :** 'आपूर्तियां और निपटान' के अंतर्गत प्राप्ति मुख्यतया खरीद और भंडारों के निरीक्षण के शुल्कों; और आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय के माध्यम से अधिशेष और अप्रचलित भंडारों के निपटान से होने वाली बिक्री आगमों से संबंधित हैं।
- 4.01.04. लेखन सामग्री और मुद्रण :** "लेखन सामग्री और मुद्रण" के अंतर्गत प्राप्ति लेखन सामग्री, गैजेटों और सरकार के प्रकाशनों आदि की बिक्री के लिए सरकार की मुद्रण प्रेसों से संबंधित हैं।
- 4.01.06. अन्य प्रशासनिक सेवाएं:** "अन्य प्रशासनिक सेवाएं" शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्ति मुख्यतः लेखा परीक्षा शुल्कों, पासपोर्ट एवं वीजा शुल्कों आदि से संबंधित हैं।
- 4.03.02. घटाइए -वाणिज्यिक विभाग - कैंटीन स्टोर्स विभाग की प्राप्ति:** वाणिज्यिक विभाग की प्राप्ति रक्षा सेवा कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (सीएसडी) से सम्बन्धित हैं जिन्हें व्यय बजट में वाणिज्य विभागों के निवल व्यय के अन्तर्गत दिखाया जाता है।
- 5.01. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति:** "शिक्षा, खेल-कूद, कला तथा संस्कृति" के अन्तर्गत प्राप्ति मुख्यतः ट्यूशन तथा अन्य शुल्कों एवं संग्रहालयों तथा प्राचीन स्मारकों के प्रवेश शुल्क से सम्बन्धित हैं।
- 5.02. चिकित्सा और जन स्वास्थ्य:** "चिकित्सा" प्राप्ति में केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना से संबंधित अंशदान और अस्पतालों तथा औद्योगिक संस्थानों की प्रदत्त सेवाओं की एवज में रोगियों से वसूल किए गए चार्ज आदि शामिल हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राप्ति में सेवा शुल्क, सेरा तथा वेक्सीन की बिक्री की प्राप्ति आदि शामिल हैं।
- 5.03. परिवार कल्याण:** "परिवार कल्याण" प्राप्ति मुख्यतः सामग्रियों तथा आपूर्ति की बिक्री प्राप्ति से सम्बन्धित हैं।
- 5.04. आवास:** "आवासन" प्राप्ति मुख्यतः सरकारी आवासीय भवनों से सम्बन्धित लाइसेंस शुल्क से सम्बद्ध हैं।
- 5.06. सूचना और प्रचार :** "सूचना तथा प्रचार" के अंतर्गत आने वाली प्राप्ति में रोजगार समाचार और अन्य प्रकाशन से होने वाली प्राप्ति, फिल्म प्रभाग निदेशालय और आउटरीच व संचार ब्यूरो (पूर्ववर्ती डीएवीपी) से होने वाली प्राप्ति शामिल हैं।
- 5.07. प्रसारण :** डीटीएच प्रचालकों, वाणिज्यिक सेवाओं (टीवी), वाणिज्यिक सेवाओं (एफएम) से प्राप्त लाइसेंस शुल्क की प्राप्ति और अन्य प्राप्ति।
- 5.08. श्रम और रोजगार:** "श्रम और रोजगार" प्राप्ति मुख्यतः श्रम कानूनों, कारखाना और खान अधिनियम आदि के अंतर्गत वसूल किए गए शुल्कों में संबंधित हैं।
- 5.09. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण:** "सामाजिक सुरक्षा और कल्याण" प्राप्ति मुख्यतया केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी बीमा स्कीम से सम्बन्धित है।
- 6.01. कृषि और संबद्ध क्रियाकलाप:** इस उप-क्षेत्र में कृषि फार्मों, वाणिज्यिक फसलों, बागवानी, पौध संरक्षण सेवाओं, कृषि शिक्षा से शुल्क, कृषि उत्पादों का गुणवत्ता नियंत्रण और श्रेणीकरण हेतु शुल्क आदि से प्राप्ति को शामिल किया जाता है। दूसरे देशों और विदेशी संगठनों से सहायता के रूप में प्राप्त बीज, उर्वरक, मशीनरी आदि जैसी निविष्टियों की बिक्री आय को भी इसकी गणना में लिया जाता है।
- 6.02. सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण:** इस शीर्ष के अधीन अनुमानों में, मुख्यतः केन्द्रीय जल आयोग और केन्द्रीय जल विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे की प्राप्ति आती हैं। "लघु सिंचाई" के अधीन अनुमान केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा राज्य सरकारों आदि के लिए किए गए भूमिगत जल की खोज से सम्बन्धित हैं।
- 6.03. ऊर्जा:** इस शीर्ष के अधीन "विद्युत, पेट्रोलियम, कोयला और लिग्नाइट तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा" जैसे विभिन्न सेक्शनों से प्राप्त प्राप्ति को गणना में लिया जाता है।

6.03.01. "विद्युत" शीर्ष में विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम के अधीन केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की प्राप्तियां दर्ज होती हैं।

6.03.02. "पेट्रोलियम" शीर्ष के अधीन अनुमानों में अपतटीय कच्चे तेल और गैस उत्पादन लाभ पेट्रोलियम पर रॉयल्टी और किसी विशेष क्षेत्र में तेल और गैस की अनन्य खोज के अधिकार के लिए लाइसेंस शुल्क से प्राप्तियां शामिल हैं।

(क) खनिज तेल पर रायल्टी को समय-समय पर यथा संशोधित तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास अधिनियम, 1948) और पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस नियमावली, 1959 की धारा 6क द्वारा विनियमित किया जाता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियमावली 1959 के नियम 14 के तहत, रायल्टी कच्चे तेल कन्डन्सेट और प्राकृतिक गैस के उत्पादक पर देय होती है। आनलैंड क्षेत्रों से उत्पादन पर रायल्टी संबंधित राज्य सरकार और केंद्र सरकार को आफशोर क्षेत्रों से उत्पादन करने पर देय होती है। किसी खनिज तेल जिसमें कच्चा तेल भी शामिल है, के संबंध में रायल्टी की दर तेल के क्षेत्रों पर या तेल-कुओं (तेल-हेड) पर जैसा की मामला हो, खनिज तेल के विक्री मूल्य के 20% से अधिक नहीं होगी।

(ख) प्रोफिट पेट्रोलियम : प्रोफिट पेट्रोलियम का अर्थ है किसी विशेष अवधि के दौरान संपर्क क्षेत्रों से उत्पादित और बचाए गए पेट्रोलियम के कुल मूल्य में से संबंधित करार/संविदा के अनुसार सरकार द्वारा परिकलित और साझा की गई पेट्रोलियम लागत घटाकर निकाला गया पेट्रोलियम मूल्य राष्ट्रीय तेल कंपनियों को नामांकन ब्लाकों के लिए कोई प्रोफिट पेट्रोलियम देय नहीं है।

(ग) पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस शुल्क (पीईएल) : (i) पीईएल शुल्क वह भुगतान है जो किसी विशेष क्षेत्र में तेल और गैस का अनन्य रूप से अन्वेषण करने के लिए सरकार से प्राप्त अधिकार के संबंध में किसी लाइसेंसधारक द्वारा किया जाता है। लाइसेंस शुल्क सामान्यतः लाइसेंस के क्षेत्र और अवधि से जुड़ा होता है और यह समय समय पर यथासंशोधित पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियमावली, 1959 के अनुसार लाइसेंसधारकों द्वारा देय है। (ii) पीईएल शुल्क आनशोर क्षेत्रों के मामले में संबंधित राज्य सरकार को और आफशोर क्षेत्रों के मामले में केंद्र सरकार को मिलता है।

(घ) उत्पादन स्तर भुगतान (पीएलपी) : ये वे भुगतान हैं जो कोल ब्रेड मीथेन ब्लाकों में संबंधित संविदा/करार के अनुसार एक निश्चित उत्पादन स्तर प्राप्त कर लेने के बाद भारत सरकार के लिए करने होते हैं।

6.04.01. ग्राम और लघु उद्योग: ग्रामीण और लघु उद्योग शीर्ष में औद्योगिक सम्पदाओं, लघु उद्योग, हथकरघा, खादी, हस्तशिल्प, नारियल जटा, रेशम उद्योग, विद्युत करघा और अन्य ग्राम उद्योगों से प्राप्तियां दर्ज की जाती हैं।

6.04.02. उद्योग: उद्योग के अधीन प्राप्तियां मुख्यतः परमाणु ऊर्जा उद्योगों और विभिन्न उद्योगों से संग्रहित लाइसेंस शुल्कों से सम्बन्धित हैं।

6.04.03. अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग: अलौह अयस्क खनन और धात्विक उद्योग शीर्ष में मुख्यतः भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए विशिष्ट कार्यों के मद में प्राप्तियां को समायोजित किया जाता है।

6.05.02. पोत परिवहन: पोत परिवहन शीर्ष में जहाजों और नौका सेवाओं के सर्वेक्षण और पंजीकरण शुल्क की प्राप्तियां को गणना में लिया जाता है।

6.05.04. सड़क और पुल: सड़क और पुल: शीर्ष में राष्ट्रीय राजमार्ग के मद में प्राप्तियां शामिल हैं जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों, स्थाई पुलों के प्रयोग हेतु शुल्क तथा सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए राज्य सरकार तथा अन्य निकायों से बसूले गए विभागीय प्रभार भी शामिल हैं।

6.06.01. अन्य संचार सेवाएं: 'अन्य संचार सेवाएं' के तहत प्राप्तियां मुख्यतः टेलीकाम प्रचालकों से प्राप्त लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम के उपयोग के प्रभारों से प्राप्त प्राप्तियां से संबंधित हैं। दूरसंचार विभाग उसके द्वारा विभिन्न दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को दिए गए लाइसेंसों से आवर्ती लाइसेंस शुल्क का संग्रहण करता है। लाइसेंस शुल्क अनुमेय कटौती जैसे पब्लिक स्विचड टेलीकाम नेटवर्क (पीएसटीएन) प्रभार, पात्र/हकशुदा सेवा प्रदाताओं पर लगाए गए रोमिंग प्रभार तथा कंपनी के लेखापरीक्षा लेखों में प्रकट उसके कुल राजस्व आंकड़ों से राज्य/केंद्र सरकार को दिए गए बिक्री कर/सेवा कर के पश्चात समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के 8 प्रतिशत के दर से लगाया जाता है।

केप्टिव प्रयोग और केप्टिव मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सर्विस (सीएमआरटीएस) लाइसेंसों के लिए लाइसेंससीकृत टेलीकाम नेटवर्कों के लिए टर्मिनलों की संख्या, चैनल और/अथवा नेटवर्क पूंजीगत लागत के अनुसार नियत आधार पर लाइसेंस शुल्क लगाया जाता है।

सेवाओं की मुख्य श्रेणी में ये शामिल हैं (i) बुनियादी सेवा, (ii) सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सीएमटीएस), (iii) यूनिफाइड एस्सेस सर्विस (यूएसएस), (iv) एकीकृत लाइसेंस, (v) इंटरनेशनल लांग डिस्टेंस (आएलडी), (vi) नेशनल लांग डिस्टेंस (एनएलडी), (vii) इंटरनेट सेवा प्रदाता (आईएसपी), (viii) वाणिज्यिक सीयूजी वीसैट लाइसेंस, (ix) पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंक सर्विसेज (पीएमआरटीएस), (x) केप्टिव मोबाइल रेडियो ट्रंक सर्विसेज (सीएमआरटीएस), (xi) जीएमपीसीएस लाइसेंस, (xii) आईपीएलसी लाइसेंस की पुनः बिक्री।

लाइसेंस शुल्क दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के प्रतिशतांक हिस्से के आधार पर संग्रहित किया जाता है जिसमें यूनिवर्सल एस्सेस लेवी (यूएएल) का घटक शामिल है। लाइसेंस शुल्क का संग्रहण देश में दूरसंचार सेवा क्षेत्र के लाइसेंस शुल्क, प्रशुल्क और विकास दर पर निर्भर होता है।

विभाग विभिन्न कंपनियों से वायरलेस उपस्कर रखने और रेडियो स्पेक्ट्रम के इस्तेमाल के लिए रायल्टी के लिए लाइसेंस शुल्क का संग्रहण भी करता है। सेवा प्रदाताओं पर लगाए गए प्रभारों को सामान्यतः स्पेक्ट्रम प्रभार कहा जाता है तथा उनके नेटवर्क (वाणिज्यिक वीसैट लाइसेंस) को दिए गए स्पेक्ट्रम का मात्रा के अनुसार उनके समायोजित सकल राजस्व के प्रतिशतांक के रूप में अथवा नियत दरों पर अथवा सूत्र के आधार पर परिकलित किया जाता है। विभाग द्वारा स्पेक्ट्रम के प्रयोग के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से (मोबाइल वाणिज्यिक वी सैट इत्यादि) स्पेक्ट्रम प्रयोग प्रभार वसूला जाता है तथा उनके नेटवर्क को दिए गए स्पेक्ट्रम की मात्रा के आधार पर उनके समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के प्रतिशतांक के रूप में परिकलित किया जाता है।

6.07.01. परमाणु ऊर्जा अनुसंधान: "परमाणु ऊर्जा अनुसंधान" के अंतर्गत प्राप्तियां भाभा परमाणु शोध केन्द्र के विभिन्न प्रभागों/एककों द्वारा प्रदत्त सेवाओं तथा बिक्री से सम्बन्धित हैं।

6.07.02. अन्य वैज्ञानिक सेवाएं और अनुसंधान: अन्य वैज्ञानिक सेवाएं तथा अनुसंधान" मुख्यतः भारतीय सर्वेक्षण विभाग राष्ट्रीय एटलस तथा थीमैटिक मैपिंग संगठन आदि से सम्बन्धित हैं।

6.08.01. विदेश व्यापार और निर्यात सेवाएं: "विदेश व्यापार तथा निर्यात सेवाएं" शीर्ष के तहत प्राप्तियां व्यापार तथा भुगतान समझौते के अन्तर्गत शेष के संबंध में भारत के पक्ष में विदेशी मुद्रा के पुनर्मूल्यांकन पर अर्जित प्राप्तियां हैं।

6.08.02. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं: "अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं" शीर्ष के तहत मुख्य रूप से ज्वाइंट स्टॉक कंपनियों के विनियमन तथा बीमा अधिनियम के तहत वसूली गई फीस शामिल हैं। इसमें भारतीय मौसम-विज्ञान विभाग की प्राप्तियां, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा गैर-सरकारी निकायों को प्रदत्त सेवाओं के लिए प्राप्त फीस और जोखिम बीमा निधि सम्बन्धी प्राप्तियां भी शामिल हैं।

7. रेल राजस्व : रेल बजट के अनुसार प्राप्तियों में (i) विविध प्राप्तियाँ (ii) वाणिज्यिक लाइनें, और (iii) सामरिक लाइनें शामिल हैं। चूंकि यह वाणिज्यिक प्राप्ति है अतः कर-भिन्न राजस्व पर इसका प्रभाव शून्य है।

8. सहायता अनुदान और अंशदान: ये अनुमान बाहरी स्रोतों से नकद तथा अन्य प्रकार से प्राप्त सहायता अनुदान के संबंध में हैं। बाह्य सहायता का ब्यौरा अनुबंध 8 में दिया गया है।

9. संघ राज्य क्षेत्रों के कर-भिन्न राजस्व: संघ राज्य क्षेत्रों (विधान मण्डलों रहित) की प्राप्तियां मुख्यतः प्रशासनिक सेवाओं, विशेषकर अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में लकड़ी तथा वनोत्पाद की बिक्री, चण्डीगढ़ परिवहन उपक्रम से प्राप्त प्राप्तियां तथा पोत परिवहन पर्यटन तथा विद्युत आदि से प्राप्त प्राप्तियां आदि शामिल हैं।

कर-भिन्न राजस्व का बकाया : राजवितीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन नियमावली, 2004 के नियम 6 के अनुपालन में कर-भिन्न राजस्वों के बकाया के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण विवरण अनुबंध 6 में देखा जा सकता है।